न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
168 / 2024	29.04.2024	10.06.2024

उनवान

1. गणपत लाल पिता छोगा लाल ब्राहम्ण जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी कवंलियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
2. निर्मला पत्नी विष्णुकुमार ब्राहम्ण जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी कवंलियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
3. समता पत्नी सत्यनारायण ब्राहम्ण जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी कवंलियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. जवान नाथ पिता शंकर नाथ जाति नाथ उम्र वयस्क निवासी बन का खेड़ा तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
2. फतेह मो0 पिता कजोड़ मो0 जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बन का खेड़ा तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
3. घनश्याम पिता सुखदेव शर्मा जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बन का खेड़ा तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोपाल लाल पिता गणपत लाल शर्मा जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
5. विष्णु कूमार पिता गणपत लाल शर्मा जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी कंवलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
6. सत्यनारायण पिता गणपत लाल शर्मा जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी कंवलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी अनिल कुमार ओझा

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बन का खेड़ा प0ह0 बन का खेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सवाईपुर तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 534 की अभिलिखित आराजियात

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

2194, 2195, 2196 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3274 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा बन का खेड़ा प0ह0 बन का खेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सवाईपुर तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 534 की अभिलिखित आराजियात 2194, 2195, 2196 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3274 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा